कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

दिनाँक- 07.4.18

पत्रांक- 3154 सी0जेड0/11सी0जेड0(पे0पं0)/2018,

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मे0 माई इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिधौली-बिसवाँ मार्ग (एम0डी0आर0-23सी) कान्हमऊ, पो0-सिधौली, परगना-बाड़ी, तहसील-सिधौली, जिला-सीतापुर की गाटा सं0-455 की भूमि पर किमी0-06 में चैनेज 5.039 से चैनेज 5.059 तक रिटेल आउटलेट (एमिनिटी सेन्टर) स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित रिटेल डीजल आउटलेट (एमिनिटी सेन्टर) स्थापित किये जाने का कार्य स्थल सिधौली-बिसवाँ मार्ग (एम0डी0आर0-23सी) के किमी0-06 में चैनेज 5.039 से चैनेज 5.059 तक के मध्य, मार्ग की लेपित सतह के मध्य से विशेष परिस्थितियों में 18.50 मीटर की दूरी के बाद बॉयी तरफ निर्माण कराया जाये।
2. बफर स्ट्रिप एवं ग्लो साइन बोर्ड सड़क की भूमि के बाहर स्वयं की भूमि पर निर्मित किया जायेगा। बफर स्ट्रिप के पास हेजेज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
3. प्रस्तावित पम्प पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साइन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाये, जिससे भूमि तल से कम से कम 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हो।
4. प्रस्तावित पम्प के प्रवेश एवं निकास से सड़क पर यातायात की विजिविल्टी में कोई अवरोध न उत्पन्न हो।
5. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रस्तावित रिटेल डीजल आउटलेट (एमिनिटी सेन्टर) से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व पार्टी को उ0प्र0 शासन, लखनऊ से लाइसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है। इसके लिए अलग से निर्देश दिया जायेगा।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल का पानी निकासी मार्ग पर न किया जाये तथा उस स्थल का लेवल मार्ग के लेवल से ऊँचा न किया जाये।
8. निर्माण स्थल हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग एवं 1.00 मी0 व्यास की आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप एन0पी0-3 पुलिया/नाली का निर्माण प्रार्थी स्वयं अपने व्यय से वहन करेगा तथा प्रार्थी द्वारा किराये पर ली गयी भूमि पर रिटेल डीजल आउटलेट (एमिनिटी सेन्टर) स्थापित करेगा, जिससे वर्षा के पानी के बहाव में कोई अड़चन न उत्पन्न हो। पहुँच मार्ग के अतिरिक्त शेष लम्बाई में भी सड़क के सामानान्तर 1.00 मीटर की चौड़ाई में नाली बनाकर लोहे की ग्रीटिंग से ढकना होगा।
9. जब भी भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि मालिक द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर ही वांछित निर्माण हटाना होगा।
10. प्रस्तावित रिटेल डीजल आउटलेट (एमिनिटी सेन्टर) का निर्माण प्रार्थी किराये पर ली गयी भूमि पर करायेगा एवं भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करेगा। यदि भविष्य में भूमि सम्बन्धी कोई विवाद होता है, तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. मेसर्स माई इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
12. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक-आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99 डी0ओ0 111, दि0 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आई0आर0सी0 कोड 12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
13. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99-डी0ओ0-III, दि0 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-सिधौली के डी0डी0 सं0-393405, दि0 14.03.2018 रू0 2,40,000/- एवं डी0डी0 सं0-393409, दि0 16.03.2018 रू0 10,000/- कुल रू0 2,50,000/- जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र संख्या-614/अना0प्र0प0/2018, दि0 02.04.2018 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र संख्या-1573/330सी-सी0खी0/2018, दि0 05.04.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, सीतापुर। संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-1573/330सी-सी0खी0/2018, दि0 05.04.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-614/अना0प्र0प0/2018, दि0 02.04.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

07/4/18
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ
07/04/2018